

रीजिस्टर्ड

पत्र

अपर सचिव,
सांस्कृतिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में

प्रधानमन्त्री,

आन्ध्रप्रदेश एलीमेंट्री हायर सेकेंडरी,
स्कूल अर्जुनगंज, लखनऊ।

पत्र संख्या आई० बी० मान्यता/६/ 2542

इलाहाबाद, दिनांक 22-2-1999

विषय—आपकी आई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अस्तित्वित (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय, राजाज्ञा सं०- ई०एम०-1741/15-7-4160/1998, दिनांक- 28.7.98 द्वारा शासन ने मान्यता समिति एवं तैयार की गई शिक्षा परिषद् की संयुक्त के समक्ष इण्टरमीडिएट शिक्षा (संस्केपन) अधिनियम, 1921 की धारा 7 के अंतर्गत आपके विद्यालय की बालक/बालिका-विद्यालय के रूप में परिषद् की 2000 की आई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतियोगियों के साथ नवीन/अस्तित्वित वर्ग/विषयों में वित्त विहीन मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन-9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/अधीक्षक उप शिक्षा निदेशक (सं०) को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनिर्दिष्ट होगी और इसके लिये संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।
- (2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्तर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/अधीक्षक उप शिक्षा निदेशक (सं०) से 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये प्रिन्सिपल सीटेंड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।
- (5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।
- (6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त इलाकाधिकारी स्वयमेव चयन करें।

Principal
Ideal Elementary College
Arjuna, Lucknow
FOUNDER/MANAGER

Principal
Ideal Elementary College
Arjuna, Lucknow
20.9.99

विशेष प्रतिबन्ध

(क) होश इत्यादि शैक्षिक क्रियाएँ एक ही दिशा में होनी चाहिए। अर्थात् यदि कोई सुचना अथवा पाठ्य सामग्री हो तो दिनांक के अनुसार वास्तविक दिनांक ही लाना है।

(ख) एन्टर स्तरीय 1500/- मूल्य की पुस्तकों की और एक माह में व्यवस्था के माध्यम निरीक्षक के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित करें।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	जनसामान्य विषय	वैकल्पिक विषय
एन्टर स्तरीय	हिन्दी	संस्कृत, अंग्रेजी, नागरिकशास्त्र
नवीन		इतिहास, समाजशास्त्र।

टिप्पणी—(1) कक्षा में प्रवेश हेतु परीक्षा से परीक्षा छात्र उपलब्ध होने तथा इस परीक्षा में अंकित समस्त विषयों (निर्धारितों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षण/निरीक्षण-पट्टिका तथा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

संलग्न- भवन विवरण।

नवदोय,

अवर सचिव।

17-02-99
16-2-99

पृथक् संख्या आई० पी० नम्यता/इ/

विनांक

प्रतिष्ठित निम्नलिखित अधिकारियों की सुचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- (1) शिक्षा विद्यालय निरीक्षण/प्रदेशीय उप-विभाग निदेशक (मा०) लखनऊ।
- (2) राष्ट्रीय सर्वोच्च शिक्षा निदेशक लखनऊ।
- (3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- (4) आई० एम्/एन्टरमीडिएट परीक्षा, संस्थापक अनुभाग।

[5] सचिव, मा० शिक्षा, मुख्यालय, इलाहाबाद।

अवर सचिव।

प्री० एम् एम् एम्—199 मा० शिक्षा—21-1-92—10,000 प्रतियाँ (पी० पी०)।

Principal
Ideal Elementary Inter College
Anjungan, Lucknow

प्रेषक,

प्राप्त में,

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद

ऑइडियल एलिमेंट्री इंटर कॉलेज
अर्जुनगंज तुल्लानपुर रोड लखनऊ

पत्रांक:-आई0 वी0 मान्यता/ 2099

दिनांक 11 - 2004

विषय:-इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं समापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संसुति के उपरान्त इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7-क (क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष 2005 की इंटरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग विषयों में वित्तविहीन मान्यता इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा 7-क (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7-क (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/मवन, पुस्तकालय, प्रामुख कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यतावासी प्राध्यापक को कार्य पर लगाया जाय।
- (4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इंटरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।
- (5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन संस्थाओं से संचालित करने का समस्त व्यवस्थाधिकारी स्वयं वहन करेगा तथा इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7-क (क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होंगे।

Ideal Elementary/Inter College
Arjunang, Lucknow
FOUNDER/MANAGER

Ideal E... College
Arjunang, Lucknow

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किए गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा विषय पाया जाता है अथवा कोई कथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जावेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

(ख)

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग

अनिवार्य विषय

वैकल्पिक विषय

इण्टरमीडिएट
मानविकी वर्ग के
अन्तर्गत अतिरिक्त विषय

अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र तथा गृह विज्ञान

टिप्पणी:—उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किये जाने की आस्था एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या : आई० बी० मान्यता/

दिनांक

200

उपयुक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1-जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ
- 2-संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ
- 3-संभागीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ
- 4-इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
- 5-सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

प्रीति एम.के. Arjunangni Inter College
Ludhiana, Punjab
20-7-2002-10,000 (जाब)।

प्रीति एम.के.
Arjunangni Inter College
Ludhiana, Punjab

रजिस्टर्ड

संख्या

सेवा में,

शेखर मन्त्रि,

प्रबन्धक,

भाष्यमिक शिक्षा, परिषद्,

जेनेय कार्यालय, इलाहाबाद।

आइडियल एलिमेंट्री इंटर कॉलेज

अर्जुनगंज तुलतानपुर रोड, लखनऊ

दिनांक

2005

पत्र संख्या : आई 0 बी 0 मान्यता/ 429

13-5

विषय :--इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने राजाज संख्या 430/15-7-05-4821178/ 2004

27 अप्रैल 2005

दिनांक

द्वारा इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 9(4) के अन्तर्गत आपके विद्यालय की बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष 2006 को इंटरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिस्पर्धियों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में वित्तविहीन मान्यता इंटरमीडिएट शिक्षा, (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध को व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था, सज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्रामाण्य कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिस्पर्धियों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन को व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।
- (2) इस मान्यता पत्र के निगंत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11वीं कक्षा संचालित करने का विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) मान्यता पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।
- (4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इंटरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रयोज्य होगा।
- (5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षाओं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे तथा इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना एवं प्रमाण ग्राह्य न हो तो संस्था पोषा धर्ता है अथवा दृष्ट्य छिपाया जाता है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

Ideal Elementary Upper College
Arjunangaj, Lucknow

FOUNDER/MANAGER

Principal

Ideal Elementary Upper College
Arjunangaj, Lucknow

(ख) प्रबन्ध तंत्र द्वारा इस आदेश का पालन प्रस्ताव कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत कक्षा के प्राविधानों को बिना किसी शर्त के अंगीकार किया जाता है, तत्काल निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को दिया जाना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव प्राप्त न होने की दशा में प्रदत्त मान्यता परिषद् कासन द्वारा प्रत्याहस्त कर ली जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

(ग) प्रदत्त मान्यता हेतु प्रतिभूति धनराशि समया 5000/- विद्यालय के नाम पर एवं निरीक्षक के पद नाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाये।

(घ) विद्यालय भूमि/भवन / क्रीडास्थल की 3600 वर्गफुट भूमि में से प्रबन्धक का नाम हटाकर भूमि केवल विद्यालय के नाम होने का प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाये।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वैज्ञानिक जति० वर्ग	हिन्दी	अंग्रेजी, भौ० विज्ञान, रसायन विज्ञान जीव विज्ञान तथा गणित
टिप्पणी:—उक्त पत्र में वर्णित सामान्य एवं विशेष प्रक्रियाओं की पूर्ति ३० (अथवा) माह के अन्दर किये जाने की आवश्यकता एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।		

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या:—आई० बी० मान्यता/

उपयुक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1--जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ
- 2 -संभागीय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ
- 3--संभागीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ
- 4--इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
- 5--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

वी० एस० यू० पी०—७१ एन० सि० ५०—२०७२००२—१०,००० (जान)।

Principal
Mandal Elementary Inter College
Jungun, Lucknow

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
आइडियल एलिमेन्ट्री इ0का0 अर्जुनगंज,
सुल्तानपुर रोड लखनऊ।

पत्रांक: मा0शि0प0/क्षे0का0इ0/मान्यता/ 1444

दिनांक 24-12-2016

विषय: इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष-2019 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा-7क(क) के प्रावधानों के अधीन प्रदान किया है :-

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।
- (4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।
- (5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षाएँ संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7क(क) के समस्त प्रावधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

Arjunanj Inter College
Arjunanj Lucknow

FOUNDER/MANAGER

Principal
Ideal Elementary Inter College
Arjunanj, Lucknow

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगा अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
- (ग) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि रु0 5000/- विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरुद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी-फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

<u>वर्ग</u>	<u>अनिवार्य विषय</u>	<u>वैकल्पिक विषय</u>
इण्टर वाणिज्य अति0 वर्ग	हिन्दी	विवरण पत्रिका अनुसार

टिप्पणी-

इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं0: मा0शि0प0/क्षे0का0इ0/मान्यता/

दिनांक

2016

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
- 2- सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 3- सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 4- इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
- 5- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

Ideal Elementary Inter College
Arjunani, Lucknow
FOUNDER-MANAGER

Principal
Ideal Elementary Inter College
Arjunani, Lucknow